तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	किया गया। वकील वादीगण के निवेदन पर बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 14.09.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
14.09.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 14/09/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
44 / 2023	2023 / 1132	18.04.2023	14.09.2023

उनवान प्रकरण

1. भगवानसिंह पुत्र ईशराराम आयु 61 वर्ष
2. जगदीश प्रसाद पुत्र ईशराराम आयु 59 वर्ष
3. राजेश कुमार पुत्र स्व. बनवारीलाल पुत्र ईशराराम आयु 38 वर्ष
4. अशोक कुमार पुत्र स्व. बनवारीलाल पुत्र ईशराराम आयु 35 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 6 कोठी काजीवाली, श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

5. मन्नी देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान (एम.डी.एम.) श्रीमाधोपुर जरिये अध्यक्ष जगदीश प्रसाद पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 6 कोठी काजीवाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–वादीगण–

बनाम्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

1. रामपाल पुत्र स्व. श्यामाराम आयु 67 वर्ष
2. ओमप्रकाश स्व. श्यामाराम आयु 59 वर्ष
3. प्रभूदयाल पुत्र स्व. श्यामाराम आयु 57 वर्ष

14/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
(नीमकाथाना)

4. रामनिवास पुत्र स्व. श्यामाराम आयु 55 वर्ष

5. दीपाराम पुत्र स्व. जवारा आयु 55 वर्ष

6. फूलचन्द पुत्र स्व. जवारा आयु 61 वर्ष

7. मदनलाल पुत्र स्व. जवारा आयु 52 वर्ष

8. प्रवीण पुत्र स्व. कैलाश पुत्र जवारा आयु 34 वर्ष

9. प्रेमलता पत्नी स्व. कैलाश पुत्र जवारा आयु 55 वर्ष

10. पवन कुमार पुत्र स्व. भागीरथप्रसाद पुत्र जवारा आयु 45 वर्ष

11. पतासी देवी पत्नी स्व. भागीरथप्रसाद पुत्र जवारा आयु 70 वर्ष

12. पुष्पलता पुत्री स्व. भागीरथप्रसाद पुत्र जवारा आयु 47 वर्ष

13. रामसिंह पुत्र स्व. स्नेहलता पुत्री स्व. भागीरथप्रसाद पुत्र जवारा आयु 30 वर्ष

14. लखनसिंह पुत्र स्व. स्नेहलता पुत्री स्व. भागीरथप्रसाद पुत्र जवाराआयु 30 वर्ष

15. ज्योति पुत्री स्व. स्नेहलता पुत्री स्व. भागीरथप्रसाद पुत्र जवारा आयु 25 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 6 कोठी काजीवाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

16. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

---प्रतिवादीगण---

17. मोहनलाल पुत्र ईशराराम आयु 57 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 6 कोठी काजीवाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

---तरतीबी प्रतिवादीगण---

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित :-

श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री साँवर मल महला, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 5, 7, 9 से 13 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 513, 517 से 522 कुल किता 7 कुल रकबा 2.03 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.79 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित हैं जिसकी खातेदारी वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 व प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 15 के मृत्तक पिता/नाना स्व. भागीरथप्रसाद पुत्र जवारा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज अनुसार है। प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 15 के पिता/नाना स्व. भागीरथप्रसाद पुत्र जवारा फौत हो चुका हैं। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 15 है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है। उक्त वर्णित भूमिया वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पैत्तक भूमियॅा हैं तथा वादीगण नम्बर 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 के मृत्तक पिता/दादा ईशराराम ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मृत्तक पिता श्यामाराम व [illegible] नम्बर 5 ता 15 के मृत्तक पिता/दादा/नाना जवारा [illegible] जो उक्त भूमियो के बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार चले आ रहे [illegible] तथा काफी अर्सा पूर्व वादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 के मृत्तक पिता/दादा ईशराराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
14/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्यामाराम व जवारा ने मौके पर वादग्रस्त भूमियो का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था तथा बाहमी बटवारे मे वादी नम्बर 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 के मृत्तक पिता ईशराराम ने अपने हक हिस्से एव अधिकार मे आयी भूमियो को मौके पर अलग से नीव सीवं कायम कर काबिज काश्त चला आ रहा था। जिसके जीवनकाल मे वादीगण सख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 अपने पिता दादा के जीवनकाल मे बाह्मी बटवारा मे आयी भूमियो का मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा वादी नम्बर 1 व 2 ने अपने हिस्से में आयी हुयी भूमियो मे वादी नम्बर 5 के नाम से मन्नी देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान (एमडीएम) सचालित कर रखी हैं किन्तु वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियो की खातेदारी अभी भी शामिल में ही चली आ रही है। मौके पर किये गये बाह्मी बंटवारे के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुयी है, जिससे अपनी भूमियो का समुचित विकास करने से महरूम हो रहे है। इसलिये वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 अपने बाह्मी बंटवार में मौके पर आयी हुयी भूमियो की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 15 के मृत्तक पूर्वज ईशराराम, श्यामाराम, जवारा द्वारा भूमियो का बाह्मी बंटवारा आपसी सहमति से कर भूमियो को मौके पर अलग–अलग कर नीवंसीवं कायम कर अपने अपने हक हिस्से एंव अधिकार में आयी हुयी भूमियो का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। आपसी सहमति से किये गये बाह्मी बंटवारे के अनुसार उक्त वर्णित भूमियो में से भूमि खसरा नम्बर 520 रकबा 0.02 हैक्टर चाह की खातेदारी यथावत रखते हुये शेष वर्णित भूमियो में वादीगण नम्बर 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 15 के निम्न भूमिया मौके पर बाह्मी बंटवारे में आयी हुयी है, जो संलग्न नजरी नक्शे से दर्शित की गयी है। बाह्मी बंटवारे के अनुसार :–

(क) वादीगण नम्बर [illegible] नम्बर 17 के निम्न भूमिया मौके पर हक हिस्से में आयी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	भू.ख.नं.	रकबा	[illegible]	दिशा
1.	523	0.79	0.3650 नजरी नक्शे अनुसार 0.3650	
			0.1500 उत्तरी तरफ की (मध्य की	

Rathore 14/08/23 (दिलीप सिंह) [illegible] अधिकारी [illegible] (नीमकाथाना)

0.2750 छोड़कर) 0.1500

दक्षिणी तरफ की

2	522	0.02	0.0050 "	"
3	519	0.03	0.0100 "	"
4.	513	1.66	0.0125	" "
			0.0050	

कुल किता 4 कुल रकबा **0.5475** है.

इस प्रकार उपरोक्त भूमियो में वादी नम्बर 1 व 2 के 1325 / 5475 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादी नम्बर 3 व 4 के 2075 / 5475 हिस्सा बहिस्सा बराबर व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 के 2075 / 5475 हिस्सा की भूमिया मौके पर हक हिस्से एंव अधिकार में आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी वादी नम्बर 1 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 के नाम उक्त हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाकर अलग से मिन बट्टा नम्बर डालकर अलग से नक्शे में तरमीम कर अलग से लगान कायम किये जाने तथा शेष पक्षकारान व मृत्तक खातेदार भागीरथप्रसाद का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित है। वादीगण उपरोक्त बाह्मी बंटवारा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भूमियो का विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है।

(ख) यह कि वादी नम्बर 5 के मौके पर निम्न भूमि मौके पर हिस्से एंव अधिकार में आयी हुयी है :-

क्र.सं.	भू.ख.न.	रकबा	में से रकबा	दिशा
1.	523	0.79	0.2750	नजरी नक्शे अनुसार
2.	513	1.65	0.0075 "	"

कुल किता 2 कुल रकबा **0.2825** है.

उक्त भूमि वादी नम्बर 5 के मौके पर हक हिस्से अधिकार में आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी वादी नम्बर 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाकर अलग से मिन बट्टा नम्बर डालकर अलग से नक्शे में तरमीम कर अलग से लगान कायम किया जाना न्यायोचित है तथा वादीगण उपरोक्त बाह्मी बंटवारा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भूमियो का विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
14/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
...पुर (नीमकाथाना)

(ग) यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 15 के निम्न भूमि मौके पर हक हिस्सा एवं अधिकार मे आयी हुयी है :-

क.स.	भू.ख.न.	रकबा	मे से रकबा		दिशा
1	513	1.65	1.625	नजरी नक्शे अनुसार	
2	517	0.17	0.17	सम्पूर्ण	3
	518	0.08	0.08	सम्पूर्ण	
4.	519	0.03	0.02	नजरी नक्शे अनुसार	
5.	521	0.06	0.06	सम्पूर्ण	
5.	522	002	0.0150	नजरी नक्शे अनुसार	

कुल किता 5 कुल रकबा **1.97** है.

उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी नम्बर 5 ता 7 का 3/10 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी नम्बर 8 ता 9 का 1/10 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी नम्बर 10 ता 12 का 3/40 हिस्सा बहिस्सा बराबर, 13 ता 15 का 1/40 हिस्सा बहिस्सा बराबर मौके पर हक हिस्से अधिकार में आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी उक्तानुसार प्रतिवादी नम्बर 1 ता 15 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाकर अलग से मिन बट्टा नम्बर डालकर अलग से नक्शे में तरमीम कर अलग से लगान कायम किये जाने तथा इसमे दर्ज वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना न्यायोचित है तथा भूमि खसरा नम्बर 520 रकबा 0.02 हैक्टर चाह की खातेदारी यथावत बदस्तूर रखी जावे। वादीगण संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अपने हिस्से व अधिकार मे बाह्मी बंटवारे के अनुसार आयी भूमियो में अलग से सींव नींव कायम कर अलग से सीमाओ से सुरक्षित कर रखा है। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एंव खलल करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को नही है, ना ही बाह्मी बंटवारा भंग कर वादीगण की भूमियो को [illegible] करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है तथा [illegible] भूमियो पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादीग[illegible] की आड मे प्राप्त है। वादीगण अपनी भूमियो की खातेदारी संलग्न नजरी नक्शा बाह्मी बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम से अलग से दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
14/09/23

वर्णित कृषि भूमि बटवारे के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एव तरतीबी पक्षकार के अलग से नाम दर्ज नही हुयी है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश मे अलग से अंकन हुआ है। इसके अभाव मे वादीगण एव तरतीबी पक्षकार अपनी भूमियो का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधाये उपलब्ध होती है उनको प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहे है तथा अपनी भूमियो का समुचित विकास करने में कठिनाईया आ रही है। इसलिये खातेदारी अलग दर्ज कराया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 15 को कई बार वादीगण एव तरतीबी पक्षकार के बाह्मी बंटवारे व संलग्न नजरी नक्शे से दर्शित भूमिया है उनको अपने नाम अलग से दर्ज करवाने बाबत कहने पर प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एंव आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियो की बढती हुयी कीमतो के कारण वादीगण एंव तरतीबी पक्षकारकी भूमियो पर प्रतिवादीगण की गलत नजर हो गयी है तथा वादीगण को आये दिन हैरान परेशान करते है तथा धमकी देने लगे है कि हम संयुक्त खातेदारी की आड़ में वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार के बाह्मी बंटवारे मे आयी हुयी भूमियो को दीगर भूमाफियावृति के लोगो को बेचान करेगें तथा बाह्मी बंटवारे के अनुसार वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार के हक हिस्से व अधिकार की संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित भूमियो की नींव सींव नष्ट करेगें तथा बाह्मी बंटवारा भंग करेगें एंव उपयोग–उपभोग में मजाहमत की धमकी देना चालू कर दिया है जिनका उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 15.02.2023 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमियो में वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार के बाह्मी बंटवारे अनुसार संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित भूमि की खातेदारी वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार के नाम करने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से इन्कार हो गये। इसलिये वादकारण उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक आया है। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि दीगर भूमाफियावृति के लोगो को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दान [illegible] आदि से अन्तरित कर दिया तो वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार [illegible] विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगें। वादीगण एंव तरतीबी [illegible]कार अपने हिस्से की भूमियो से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगे। अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी, जिससे वादी को

Rathore
14/09/23

इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध एंव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनी अधिकारी है एंव प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निशेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावें–

(ए). यह कि घोषणा बाबत बंटवारा इस आशय की फरमायी जावे कि भूमि खसरा नम्बर 513, 517 से 522 कुल किता 7 कुल रकबा 2.03 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.79 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मय संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 व प्रतिवादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसमे दर्ज मृत्तक भागीरथप्रसाद का नाम हजफ फरमाया जाकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किये जाने तथा अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेद्याज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाये जाने कि वे भूमि खसरा नम्बर 513, 517 से 522 कुल किता 7 कुल रकबा 2.03 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.79 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार के हक हिस्से में आयी हुयी भूमि के वादीगण एंव तरतीबी पक्षकार के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग–उपभोग में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करें ना ही दीगर से करावें, ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ट भाग पर कोई अवैध कब्जा आदि करने का प्रयास करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे वादीगण के हक हकूकों पर कोई विपरित प्रभाव पड़ता हो। इसलिए अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद वारते घोषणा, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Rathore
14/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से समन नोटिस तलब किया गया। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। वादीगण की ओर से वादीगण वकील श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने राजीनामा स्वीकार किया एव उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 लगायत 5, 7, 9 से 13 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 की पहचान श्री सॉवर मल महला एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढकर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् के द्वारा सुन समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तरदीक किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 6, 8, 14 व 15 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 24.04.2023 से सहमति व्यक्त करते हुए राजीनामा मय नजरी नक्शा अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने बाबत सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादीगण संख्या 2, 16 से 17 की तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2, 16 से 17 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादी भगवानसिंह पुत्र ईशराराम व वादी साक्ष्य गवाह मे रमेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। वकील वादीगण ने वादपत्र में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण बरूए राजीनामा किये जाने का निवेदन किया गयड़ं

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 दो जमाबन्दियॉ, नजरी नक्शा, पक्षकारान् के मध्य आपस मे हुए राजीनामा, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादीगण व [illegible] तिवादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 व प्रतिवादीगण संख्या 10 [illegible] 15 के मृत्तक पिता/नाना स्व0 भागीरथ प्रसाद पुत्र जवारा के नाम दर्ज र[illegible] व रिकार्ड होकर सहखातेदार होना प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस मे एक ही परिवार से होकर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

14/08/23

भूमियो के सहखातेदार काश्तकार होकर उक्त भूमियाँ पैतृक भूमियाँ होना प्रकट होती है। वादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 17 के मृत्तक पिता / दादा ईशराराम ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मृत्तक पिता श्यामाराम व प्रतिवादी नम्बर 5 ता 15 के मृत्तक पिता / दादा / नाना जवारा आपस में तीनों सगे भाई होना तथा उक्त तीनो भाईयों के द्वारा मौके पर वादग्रस्त भूमियो का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा काश्त की सुविधा व पारिवारिक सैटिलमेंट अनुसार किया जाकर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। जिनका पक्षकारान् बाहमी बंटवारे अनुसार अपनी काबिज काश्त की भूमियों के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने हेतु प्रस्तुत वादपत्र का पेश किया जाना प्रतित होता है। जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की वादीगण साक्ष्य में पेश वादी भगवानसिंह पुत्र ईशराराम व वादी साक्ष्य गवाह मे रमेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होना प्रकट होती है। पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 24.04.2023 के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, बटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 513, 517 से 522 कुल किता 7 कुल रकबा 2.03 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 0.79 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.79 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर प[illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का मुताबिक तरदीकशुदा [illegible] 04.2023 मे वर्णित विवरण मय संलग्न नजरी नक्शानुसार [illegible] प्रतिवादी नम्बर 17 व प्रतिवादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

14/09/23

...लीश्य प्रसाद का नाम इजाफ किया जाता है तथा उक्तानुसार भूमियों का राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग अलग नक्शे में तरमीम किये जाने तथा बट्टा नम्बर डाले जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा तस्दीकशुदा राजीनामा दिनांक 24.04.2023 को निर्णय व डिक्री का भाग बनाया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण की भूमि के कब्जा काश्त मे मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

14/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी * श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) *

यह निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested